

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वाभिव्यक्ति सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

मकल डिडनी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 377 दिनांक 19/11/2020

प्राथी सुरेश कुमार व्यास Sr. श्री लीतमल व्यास

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (ख) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु माकचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 11497/- (11497/-)

जरिये रसीद संख्या 9069/2579, 2580

दिनांक 19/11/2020 को जमा करा दी है ।

P.No: 215-216 प्रा.प्र.

चौपालकी खसरा संख्या

3 संख्या

192/149/2

23/11/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

Received
23/11/20